न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 296/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/)

विजयसिंह पुत्र रामपाल जाति जाट निवासी भीलनपुर तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 411/17 निर्णय 12.01.2018 (75 एल.आर.एक्ट) व नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां के निर्णय दिनांक 30.10.2017 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री महावीर चौधरी वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 12.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार बहावण्डाकलां ने आदेश दिनांक 30.10.2017 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 5 बीघा किस्म गैर मुमकिन चारागाह वाकै ग्राम भोलनपुर से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है साथ ही अपीलान्ट पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है। इसकी अपील अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में की गई। जिसमें अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां का निर्णय दिनांक 30.10.2017 यथावत रखा गया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। हर दो तहत अदालतों के आदेश न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नहीं किया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही अपीलान्ट को कोई विधिवत नोटिस जारी किया है। यदि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत रखता किन्तु अपीलान्ट को कोई मौका ही नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा समस्त एकतरफा अमल में लायी गई है। उक्त आराजीयात ख0नं0 59 रकवा 5 बीघा चारागाह पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट का कभी कोई पश्चातवर्ती अतिचार रहा है। केवल पटवारी हल्का की ओर से पेश की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को 2 माह के सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है, जो निरस्तनीय है, क्योंकि पटवारी हल्का ने न तो वास्तविकता की जांच की तथा ना ही उक्त आराजीयात पर ही कभी गये। अदालत मातहत ने भी अपीलान्ट के एवं आसपास के खेत वालों के बयान नहीं लिये गये। पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर यह निर्णय पारित किया है जो कतई अवैध व न्यायोचित नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी उक्त सभी बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि निरस्तनीय है। जबकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 5 बीघा किस्म वाकै ग्राम भोलनपुर की सिवायचक भूमि पर न तो पूर्व में अपीलान्ट का कभी अतिक्रमण रहा है और न ही निर्णय वर्ष में ही कोई अतिक्रमण रहा है। नायब तहसीलदार बहरावाण्डा कलां ने पटवारी हल्का की ओर से कार्यालय में बैठकर तैयार की गई गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को विवादित भूमि से पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर दो माह के सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है, जबकि विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी होने का कोई साक्ष्य या दस्तावेज नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए। विवादित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम भोलनपुर की सिवायचक भूमि पर से अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से काफी पूर्व ही अपना अतिचार हटा लिया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हीं कभी भविष्य में कोई अतिक्रमण करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2018 निरस्त किया जाकर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम भोलनपुर के खसरा नंबर 59 किस्म गैर मुमकिन चारागाह रकबा 5 बीघा में धान व तिल लगाकर अतिक्रमण किये जाने व उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 24.10.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। सुनवाई हेतु नियत तिथि को अपीलान्ट नायब तहसीलदार न्यायालय बहरावण्डा के न्यायालय में उपस्थित हुआ। जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली की दिनांक 24.10.2017 की आदेशिका पर अपीलान्ट के हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है। अगली नियत पेशी दिनांक 30.10.2017 को अपीलान्ट के अदालत मातहत में उपस्थित नहीं होने पर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये। जिसमें पटवारी हल्का ने यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट के द्वारा ग्राम भोलनपुर के खसरा नंबर 59 रकबा 5 बीघा पर फसल सम्वत् रबी 2073 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया था। जिसकी रिपोर्ट पूर्व में पेश की गई थी। उक्त निर्णय की पालना में अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया था, परन्तु खरीफ सम्वत् 2074 में अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है, जो कि पश्चातवर्ती अतिचार की श्रेणी में आता है। बयान के समर्थन में विवादित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2017 व विवादित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। नायब तहसीलदार बहरावण्डा कला ने पटवारी हल्का की ओर से दिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए बेदखल करने, 50 गुना शास्ती आरोपित करने तथा 2 माह के सिविल कारावास की सजा से निर्णय दिनांक 30.10.2017 के द्वारा दण्डित किया है। नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, परन्तु उक्त अपील में भी इस तरह का कोई दस्तावेज या रिकार्ड संलग्न नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर रिपोर्ट वर्ष या पूर्व के वर्ष में अतिक्रमण नहीं रहा हो। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। उक्त दोनों निर्णयों में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि दोनों अदालत मातहतों द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार नहीं होने का प्रश्न है तो नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की पालना में अपीलान्ट सुनवाई हेतु नियत दिनांक को उपस्थित भी हुआ है, परन्तु किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर नायव तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के समर्थन में बयान पूर्व वर्ष में पारित निर्णय तथा उक्त निर्णय की पालना में बेदखल किये जाने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न करने के बाद विवादित भूमि से बेदखल किये जाने, 50 गुना शास्ती आरोपित करने तथा 2 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है। चारागाह भूमि जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। इस तरह की भूमि को न तो कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किया जा सकता है और न ही नियमन ही किया जा सकता है। इसके अलावा विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होना भी अदालत मातहत की पत्रावली से बखूबी साबित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2018 में स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय पारित किया है। उक्त दोनों निर्णयों में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल चर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर